

फर्द अहकाम

(नियम 20)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

पुरणसिंह

बनाम

प्रेमसिंह

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 341/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तागील में जारी हुए
09.07.215	<p>वकील वादी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 163 कुल किता 01 कुल रकबा 46-01 बीघा में दोनो भाईयो के हिस्से दर्ज नहीं हैं। जबकि मौके पर पर हिस्से अनुसार एवं विधिक रूप से हमारा जो हिस्सा अर्थात् 1/2, 1/2 हिस्सानुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।</p> <p>राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 163 कुल किता 01 कुल रकबा 46-01 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी का 1/2, 1/2 हिस्सा हैं पटवारी हल्का की जांच दिपोर्ट अनुसार मौके पर 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार काबिज हैं। वादी एवं प्रतिवादी को 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 163 कुल किता 01 कुल रकबा 46-01 बीघा भूमि में वादी पूरणसिंह पुत्र हनुमानसिंह को 1/2 एवं प्रतिवादी प्रेमसिंह पुत्र हनुमानसिंह को 1/2, हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकगील जाल्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	

डिक्री बगुकदमें इस्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाग:- जैतारण

जिलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाग प्रतिवादी :-

पूरणसिंह पुत्र हनुमानसिंह
जाति राजपुत
निवारी-चावण्डियाकलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

प्रेमसिंह पुत्र हनुमानसिंह
जाति राजपुत
निवारी-चावण्डियाकलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 341/2015

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वारते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अगर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 163 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 46-01 बीघा भूमि में वादी पूरणसिंह पुत्र हनुमानसिंह को 1/2 एवं प्रतिवादी प्रेमसिंह पुत्र हनुमानसिंह को 1/2, हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मथ रूद व शहर-.....फीस रादी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्ल मेरे दस्तखत व गोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल रोवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया।




उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

गिजान:-

गिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।